पत्रांक संख्या– रा0वि0 / कु0स0 / 2025 / 516 दिनांक–02.07.2025

आवश्यक सूचना

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक संख्या– **115/2025/1370/26-3-2025-1741061** दिनांकः **10 जून, 2025** एवं पत्रांक संख्या– **119/2025/1400/26-3-2025-1513982** दिनांकः **18 जून, 2025** के सन्दर्भ में सभी छात्र / छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025–26 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु आवेदन की तिथि निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयावधि	
		सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
1.	छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) / ऑनलाइन आवेदन।	10 जुलाई, 2025 से 20 दिसम्बर, 2025 तक	10 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक
2.	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र / छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	24 दिसम्बर, 2025 तक	06 अप्रैल, 2026 तक

नोटः– सभी छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विस्तृत जानकारी हेतु संलग्न दिशा–निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करे।

(कुलसचिव)

कुलसचिव
रामा विश्वविद्यालय
कानपुर (उ0प्र0)

Rama City, G.T. Road, Mandhana, Kanpur - 209217, Ph: 0512-2780886, 2780345
www.ramauniversity.ac.in, email : info@ramauniversity.ac.in

छात्रवृत्ति फार्म भरने हेतु छात्र–छात्राओं के लिये महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश शैक्षणिक सत्र (2025–26)

सभी छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित पत्रादि निर्धारित क्रम में संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है –

क्र० सं०	प्रपत्र जो आवेदन पत्र के साथ कमवार संलग्न करने है।	टिप्पणी
i	ऑनलाइन आवेदन पत्र 2025–26	सर्वप्रथम आवेदन पत्र को संलग्न करें।
ii	हाईस्कूल मार्कशीट एवं सर्टीफिकेट की छाया प्रति	समस्त छात्रों द्वारा संलग्न किया जाय।
iii	इण्टरमीडिएट मार्कशीट एवं सर्टीफिकेट की छाया प्रति	समस्त छात्रों द्वारा संलग्न किया जाय। **(न्यूनतम योग्यता 60 प्रतिशत)**
iv	ग्रेजुएशन/डिप्लोमा की मार्कसीट की छायाप्रति	बी० टेक लेट्रल प्रवेश एवं एल0एल0बी0 के छात्र एवं एम0बी0ए0/एम0टेक या अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्र लगायेगे। (अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग हेतु न्यूनतम योग्यता **55 प्रतिशत** एवं अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु न्यूनतम योग्यता **50 प्रतिशत**)
v	आय प्रमाण पत्र (छाया प्रति एवं नेट सत्यापित प्रति)	सभी छात्र/छात्राएं पिता या माता या संरक्षक का आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें। **नोटः–** 1. पिता के न होने की स्थिति में माता का, तथा माता व पिता दोनो की जीवित न होने की दशा में संरक्षक का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। 2. छात्रा के विवाहित होने की स्थिति में **पति का आय प्रमाण पत्र** मान्य होगा। 3. माता व पिता के मध्य तलाक या अन्य कानूनी स्थिति में संबंधित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। 4. किसी भी छात्र–छात्रा द्वारा **स्वयं के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र** संलग्न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
vi	जाति प्रमाण पत्र (छाया प्रति एवं नेट सत्यापित प्रति)	समस्त छात्रों द्वारा संलग्न किया जाय।

कुलसचिव
रामा विश्वविद्यालय
कानपुर (उ०प्र०)

vii	निवास प्रमाण पत्र (छाया प्रति एवं नेट सत्यापित प्रति)	समस्त छात्रों द्वारा संलग्न किया जाय।
viii	बैक पासबुक	छाया प्रति समस्त छात्रों द्वारा संलग्न किया जाय।
ix	शुल्क रसीद	शैक्षणिक सत्र 2025–26 में सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क जमा करने के उपरान्त, समस्त छात्रों द्वारा शुल्क की छायाप्रति संलग्न की जाय।
x	शैक्षणिक सत्र 2024–25 का परीक्षाफल	प्रथम वर्ष एवं लेट्रल प्रवेश के छात्रों को छोडकर समस्त छात्रों द्वारा संलग्न किया जाय।
xi	गैप का शपथ पत्र	सभी वर्ग के छात्र जिनका गतवर्ष मे गैप रहा हो, उन्ही छात्रों द्वारा संलग्न किया जाय। (मूल रुप में)
xii	विभाग द्वारा वाछिंत शपथपत्र	समस्त छात्रों द्वारा संलग्न किया जाय। (मूल रुप में)
xiii	आधार कार्ड की छाया प्रति	छाया प्रति समस्त छात्रों द्वारा संलग्न किया जाय।
xiv	आवासीय छात्र	विश्वविद्यालय छात्रावास मे रहने वाले छात्रों द्वारा साक्ष्य स्वरूप शुल्क रसीद की छायाप्रति संलग्न की जाय।
xv	प्रवेश परीक्षा विवरण (यदि लागू हो)	प्रवेश परीक्षा परिणाम की छायाप्रति, छात्रवृत्ति फॉर्म के साथ लगाना अनिवार्य है।

1) जिन छात्र–छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सामान्य, अ0पि0व0 एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु 2 लाख रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु 2.5 लाख रुपये है या इससे कम है, वे ही छात्र छात्रवृत्ति फार्म भरने हेतु पात्र है।
2) सभी छात्र–छात्राओं को वर्तमान सत्र की **फीस 100% जमा की गयी रसीद** ही लगानी होगी।
3) छात्रवृत्ति फार्म में **पाठ्यक्रम का प्रकार 'स्व वित्तपोषित'** भरा जायेगा। **पाठ्यक्रम का नाम व ब्रांच तथा कक्षा का वर्ष व अवधि** सही होनी चाहिए।
4) छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करते समय पाठ्यक्रम के **प्रथम वर्ष की प्रवेश तिथि** एवं **वर्तमान सत्र की प्रवेश तिथि** सही एवं स्पष्ट अंकित होनी चाहिए।
5) छात्रवृत्ति फार्म में **हाईस्कूल रोल नं0, आय प्रमाण पत्र कमांक, जाति प्रमाण पत्र कमांक** आदि समस्त विवरण सही एवं स्पष्ट अंकित होनी चाहिए।
6) छात्रवृत्ति फार्म में "विश्वविद्यालय/बोर्ड/एफिलिएटिंग एजेन्सी में पंजीयन क्रंमाक" में **नामांकन संख्या (Enrollment Number)** भरना अनिवार्य है।
7) छात्रवृत्ति फार्म में "विश्वविद्यालय/बोर्ड/एफिलिएटिंग एजेन्सी का नाम" – **रामा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश कानपुर** भरा जायेगा।
8) **बैंक खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड** और **ब्रांच का नाम** सही एवं स्पष्ट अंकित होनी चाहिए।

कुलसचिव
रामा विश्वविद्यालय
कानपुर (उ०प्र०)

9) छात्रवृत्ति फॉर्म में अनुमोदित वार्षिक ''नान–रिफन्डेबिल'' अनिवार्य शुल्क में **वार्षिक कुल शुल्क** ही भरे।

10) मैनेजमेन्ट कोटा/स्पॉट प्रवेश के अन्तर्गत प्रवेशित छात्र छात्रवृत्ति फार्म भरने हेतु योग्य नही है।

11) **केवल 75% या उससे अधिक उपस्थिति** वाले छात्र–छात्राएं ही छात्रवृत्ति फॉर्म भरने हेतु मान्य होगे।

12) वे व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जिनकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है, उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को न्यूनतम 50% व सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

13) शासन के दिशानिर्देशानुसार निर्धारित वरीयता एवं उपलब्ध बजट के अनुसार ही धनराशि देय होगी।

14) **छात्रवृत्ति फार्म भरने में किसी भी समस्या के लिये एकेडमिक कार्यालय में 10:00 से 12:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।**

15) **छात्रवृत्ति फार्म को फाइनल सबमिट करने से पहले स्वयं जॉच हेतु प्रिन्ट आउट को एकेडमिक कार्यालय में जाँच करा लें।**

16) **'फाइनल सबमिट' के बाद आवेदन पत्र सहित सभी संलग्नकों की स्कैन कॉपी ई–मेल: "scholarship@ramauniversity.ac.in" पर अनिवार्य रूप से भेजे तथा वही प्रति एकेडमिक कार्यालय में नियत समयावधि में जमा करना होगा।**

17) यदि किसी छात्र–छात्रा का आवेदन–पत्र वांछित संलग्नकों/दस्तावेजों सहित पूर्ण नहीं होता है अथवा उपरोक्त में से किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसे आवेदन–पत्र को संस्था स्तर से ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित छात्र/छात्रा की होगी।

कुलसचिव

कुलसचिव
रामा विश्वविद्यालय
कानपुर (उ०प्र०)